


कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा राजसमन्द

कार्यालय आदेश

निदेशक महोदय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक/शिविरा/प्रार/शैक्षिक/सी 19626/12-13/ दिनांक 13.01.2012 की अनुपालना एवं उपनिदेशक प्राशि राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/प्रार/शैक्षिक/सी./19626/मूल मान्यता/2012-13/ 534 दिनांक 18.09.12 के आदेशानुसार शिक्षा सत्र 2012-13 में क्रमोन्नत गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को कक्षा 6 के साथ कक्षा 7 व 8 एक साथ प्रारम्भ करने की अनुपालना में संस्था द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, अण्डरटेकिंग एवं निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त 15000/- रू० अतिरिक्त शुल्क जमा कराने के आधार पर एवं इस कार्यालय द्वारा गठित मान्यता दल की अभिशंषा अनुसार डी.ए.वी. हिन्दुस्तान जिनक लिमिटेड स्कूल दरीबा (संस्था का नाम व पता) की राजस्थान गैर सरकारी शिक्षा मान्यता अनुदान नियम 1993 एवं तत्पश्चात किये गये संशोधनों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सत्र 2012-13 से हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम कक्षा 6 के साथ कक्षा 7 व 8 एक साथ प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


मान्यता की शर्तों/निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की पालना न करने अथवा किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय किसी विपरीत स्थिति पाये जाने पर संस्था की मान्यता निरस्त की जा सकेगी।


  
जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारम्भिक राजसमन्द

क्रमांक : जिशिअ/प्राशि/राजस/मान्यता/2012/ 513 दिनांक : 30-11-12

प्रतिलिपि :-

1. व्यवस्थापक/सचिव डी.ए.वी. हिन्दुस्तान जिनक लिमिटेड स्कूल दरीबा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2. कार्यालय रक्षित पत्रावली

  
(Dibyendu Sen Sharma)  
PRINCIPAL  
D.A.V. HZI Sr. Sec. School  
DARIBA, Rajasamand (Raj.)

  
जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारम्भिक राजसमन्द